

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(चकबंदी निदेशालय)
अधिसूचना।

संख्या 12/चक0-विविध-05-05/2021-600/चक0, पटना, दिनांक 09/06/2023

बिहार जौत समेकन एवं खण्डकरण निवारण अधिनियम 1956, 5(a) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में इसका समाधान होने पर इससे उपावद्ध अनुसूची में वर्णित अंचलों से संबंधित ग्रामों (इकाईया) को समेकन योजना कार्यबल के अभाव में तैयार करने में समय लगने की संभावना है।

ऐसे जगहों पर चकबंदी अधिनियम की धारा 5 के तहत भू-अंतरण एवं वेटपारा पर प्रतिषेध जनहित में उचित नहीं होता है। इससे रैयतों के कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा। धारा 5 की उप धारा (1) के उपबंधों के प्रावधानों के चलते इन ग्रामों के रैयत एवं दर रैयतों का भूमि अंतरण पर प्रतिषेध से परेशानी होगी।

अतः उप निदेशक, चकबंदी से प्राप्त अनुसंशित प्रतिवेदन के आलाप में निम्न अनुसूची में वर्णित जिले के चकबंदी योजना से आच्छादित अंचलों के राजस्व ग्रामों के भूमि अंतरण की धारा 5(1) के उपबंधों के प्रवर्तन से अधिसूचना निर्गत की तिथि से अगले आदेश तक निबंधन हेतु भू अंतरण की अनुमति से मुक्त किया जाता है।

प्रस्ताव पर निदेशक, चकबंदी का अनुमोदन प्राप्त है।

क्र०	अंचल	मौजा का नाम	थाना नं०
1	आरा सदर	जमीरा	162
2	राजपुर	सुगहर	156
3	राजपुर	मंगराव	116

अनुदेशक,
चकबंदी निदेशालय,
बिहार, पटना।

आपांक 600/चक0, पटना, दिनांक 09/06/2023

प्रतिलिपि :- अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग(सी०डी० सहित)/अपर सचिव, गजटशाखा, वित्त विभाग, पटना (सी०डी० सहित) को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने एवं इसकी 200 मुद्रित प्रतियां, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (चकबंदी निदेशालय), पटना को आपूर्ति करने हेतु प्रेषित।

अनुदेशक,
चकबंदी निदेशालय,
बिहार, पटना।

आपांक 600/चक0, पटना, दिनांक 09/06/2023

प्रतिलिपि :- संबंधित जिला पदाधिकारी/अपर समाहर्ता-सह-उप निदेशक चकबंदी, भोजपुर/संबंधित चकबंदी पदाधिकारी/संबंधित अंचलाधिकारी/संबंधित निबंधन कार्यालय का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुदेशक,
चकबंदी निदेशालय,
बिहार, पटना।